न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 191/2019 (75/2019)

GCMS NO. : 2019/00044

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थीगण ::-
1. पुखराज पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगीया जाति-कुम्हार (कुमावत) निवासी ग्राम धनेरिया तहसील जैतारण जिला-पाली।		1. मूलाराम पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगीया 2. मोहनलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगीया जाति-कुमावत (खेडावत) निवासी ग्राम धनेरिया तहसील जैतारण जिला-पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा धनेरिया पटवार क्षेत्र केकिन्दड़ा तहसील जैतारण जिला पाली में वाके आराजी खाता संख्या 204 खसरा नम्बर 114 रकबा 09-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 154 रकबा 29-11 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर -2 कुल रकबा 38-13 बीघा भूमि तथा खाता संख्या 208 खसरा नम्बर 149 रकबा 23-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 155 रकबा 19-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरान नम्बर-2 कुल रकबा 42-17 बीघा भूमि यानि दोनों खातों में चार खसरान कूल भूमि रकबा 81-10 बीघा भूमि सरहद मौजा धनेरिया तहसील जैतारण में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त आराजो के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वक्त सेटलमेंट के दौरान वादग्रस्त आराजी पर सायल एवं गैरसायलान के दादा बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हुई। तत्पश्चात् धना वल्द रामा जी कुम्हार के देहान्त होने पर वादग्रस्त आराजी सायल एवं गैरसायलान के पिता मागीया उर्फ मांगीलाल एवं पुनाराम के नाम अमल दरामद हुई। उक्त वादग्रस्त आराजी सायल के पिता मांगीलाल उर्फ मांगीया की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं है बल्कि मांगीलाल उर्फ मांगीया वल्द धना वादग्रस्त आराजी [illegible] खानदान व परिवार के मुख्या के नाते राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जबकि वादग्रस्त आराजी पर धना वल्द रामा जी के उत्तराधिकारी के तौर पर सायल बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

करता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी की मिसल बन्दोबस्त, नक्शा ट्रेश मय चालु जमाबन्दी खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सायल अपने हक अधिकार की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है मगर गैरसायलान ने मांगीया उर्फ मांगीलाल की अन्तिम समय में वादग्रस्त पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 114, 154, 149 व 155 कुल रकबा 81–10 बीघा भूमि जो सायल एवं प्रतिसायल के पूर्वज/दादा धना वल्द रामा की खातेदारी संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त कृषि भूमि मांगीलाल उर्फ मांगीया को विरासत में प्राप्त होने के बावजूद चुपके–चुपके वादग्रस्त आराजी गैरसायलान ने दिनांक 29.05.2012 को जरिए लिखित पंजीबद्ध बख्शीशनामे में आधार पर अपने नाम दर्ज करवा दी। तब सायल पुखाराम को मालूम पड़ने पर गैरसायलान व अन्य को विरुद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय जैतारण में एक दिवानी मूल वाद संख्या 23/2013 अनवान पुखाराम बनाम मूलाराम वगैराह का प्रस्तुत किया, साथ ही आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र संख्या 18/2013 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभय पक्षकारान की बाद सुनवाई 28/05/2013 को रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया, जो बाद में न्यायालय द्वारा दिनांक 20/07/2016 को वाद के अन्तिम निस्तारण तक रकर्ड की यथास्थिति के आदेश को पुख्ता किया गया। उक्त दिवानी मूल वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय स्थगन आदेशिकाएं की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। सायल अपनी पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है व हिस्सानुसार वादग्रस्त आराजी का उपयोग/उपभोग व काश्त करता आ रहा हैं मगर गैरसायलान की नियत खराब हो जाने से वादग्रस्त आराजी से सायल के बेदखल करने एवं कब्जा काश्त में दखलांदाजी करने में आमादा है। इस पर दिनांक 25/05/2019 को गैरसायलान ने सायल को बलपूर्वक जबदस्ती वादग्रस्त आराजी में सायल को उसके हक हिस्से की खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की, तथा मौके पर झगड़ा–टण्टा व फसाद किया, और एलानिया धमकी दी कि तुम्हे इस जमीन से बलपूर्वक बेदखल करेंगे, तब सायल ने गैरसायलान व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक लिखित शिकायत पुलिस थाना आ० कालु में पेश की गई। सायल को गैरसायलान के विरुद्ध बार–बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिर्डिंग्स होगी, सायल को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है इसलिए सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त एवं रेकर्ड के आधार पर सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया बखूबी साबित है तथा सुविधा सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है गैरसायलान राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर सायल को उसकी पुश्तैनी/पैतृक खातेदारी कृषि भूमि [illegible] अथवा कब्जा काश्त में दखलांदाजी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

रोकटोक करने की सूरत में अपूरणीय क्षति सायल को होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत कर निवेदन है कि– सरहद मौजा धनेरिया पटवार क्षेत्र केकिन्दड़ा तहसील जैतारण जिला पाली में वाके आराजी खाता संख्या 204 खसरा नम्बर 114 रकबा 09–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 154 रकबा 29–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल तथा खाता संख्या 208 खसरा नम्बर 149 रकबा 23–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 155 रकबा 19–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि यानि दोनों खातों में चार खसरा की कूल भूमि रकबा 81–10 बीघ भूमि सायल एवं गैरसायलान पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त कृषि भूमि है जिसका विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हो रखा है सम्पूर्ण भूमि मौके पर एक चक के रूप में स्थित है जिस पर सायल अपने हक हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार को काबिज है व उपयोग–उपभोग व काश्त शांतिपूर्वक करता आ रहा है मगर वादग्रस्त आराजी से सायल को बेदखल कर कब्जा करने कब्जा काश्त में दखलांदाजी, बाधा अड़चन पैदा करने पर आमादा है इसलिए गैरसायलान एवं उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि को सायल के हक हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में दखलांदाजी, बाधा, अड़चन, रोक–टोक अथवा बेदखल करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद के अन्तिम निर्णय तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार भूमि मौजा धनेरिया में स्थित होने के तथ्य सही है लेकिन इस भूमि में सायल का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक व अधिकार न तो कभी रहा है न ही वर्तमान में है। बल्कि सायल सुआ बेवा उंकार जी कौम कुम्हार निवासी जसनगर तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर यानि अपनी नाना–नानी के यहां पर पिछले 50 वर्ष पूर्व से गोद गया हुआ है एवं बतौर दत्तक पुत्र की हैसियत से उनकी जमीन पर काबिज होकर के काश्त करता आ रहा है एवं इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सायल का न तो कभी कोई कब्जा रहा है न ही कोई हक व अधिकार ही है सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल ने धन्ना पुत्र रामाजी की पुत्रीया दाखु, केली, पांची व पता व उनके वारिसान को वाद पक्षकार नहीं बनाया है। न ही उनके हक हिस्से बाबत् उल्ले[illegible] है। इस प्रकार से सायल स्वयं उंकार जी कुमावत निवासी ज[illegible] है। जिसे सायल ने छुपाते हुये अपने आप को मांगीलाल [illegible] बताकर यह गलत प्रार्थना पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:16 IST
Reason: SelfAttested

किया है। इस प्रकार से सायल ने इस प्रार्थना पत्र में वर्णित जायदाद में भी अपना हक हिस्सा व अधिकार होना गलत उल्लेखित करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 114, 154, 149, 155 मौजा धनेरिया की जमीन पर सायल का न तो कभी कब्जा काश्त रहा है न ही कभी हक अधिकार रहा है। बल्कि धन्नाराम वल्द रामा जी के कुल 06 जायन्दा पुत्र व पुत्रीया जिनमें से दाखु, केली, पांची व पतासी देवी ने अपने हक हिस्से की भूमि जवाब देहन्दागण को बक्शीश कर दी थी। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अकेले पूनाराम जी का व मांगीलाल जी का हिस्सा होने से सम्बन्धित कथन भी असत्य व झूठे है। इस प्रकार से धन्ना वल्द रामा जी के फौत होने पर पूनाराम जी व मांगीलाल जी का इस जायदाद में केवल 1/6-1/6 वां हिस्सा व अधिकार ही था। शेष 4/6 वां हिस्सा दाखु केली, पांची व पतासी देवी का था जिन्होने अपनी उक्त भूमि मांगीलाल जी के जायन्दा पुत्र मुलाराम व मोहनलाल को मौखिक हकतर्क कर दी थी। इस प्रकार से धन्नाराम जी की चारो पुत्रीयो ने इस वादग्रस्त भूमि में अपना 4/6 वां हक हिस्सा व अधिकार जवाब देहन्दागण को हकतर्क कर दिया था तो पीछे भूमि मांगीलाल जी अकेले की स्वयं की पुश्तैनी होने के कथन भी मिथ्या है। साथ ही उक्त भूमि मांगीलाल जी को विरासत में मिलने व स्वअर्जित सम्पति नही होने के कथन भी मिथ्या है। यहां पर यह सही है कि सायलगण मांगीया उर्फ मांगीलाल का जन्मत पुत्र है लेकिन बाद में सायल को उंकार जी कुमावत निवासी जसनगर वाले ने अपनी पत्नि सुआदेवी की सहमति से गोद ले लिया था। इस प्रकार से सायल पुखाराम को अब सुआ बेवा उंकार जी की चल अचल सम्पति मिली हुई है तथा सायल को सुआ एवं उंकार जी के पुत्र के रूप में ही जाना व पहचाना जा रहा है। सायल के वहां जसनगर उंकार जी के यहां दत्तक पुत्र के रूप में गोद चले जाने के बाद सायल वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से कोई हक हिस्सा व अधिकार नही रहा है। इस प्रकार से सायल ने अपने आपको इस पद में मांगीलाल जी के उत्तराधिकारी होने के झूठे कथन किये है। वादग्रस्त भूमि में सायल पुखाराम का कोई कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार न तो कभी रहा है। न ही वर्तमान में है। इस प्रकार से सायल पुखाराम वर्षो पूर्व ही सुआ बेवा उंकार जी निवासी जसनगर वालो को यहां पर गोद चला गया था। तथा सायल ने सुआ बेवा उंकार जी की चल व अचल सम्पति प्राप्त की थी। एवं वहीं पर वह सुआ बेवा उंकार जी के उत्तराधिकारी के रूप में रहा है। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी में सायल का गोदा के बाद किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी में कोई हक व अधिकार नही था एवं जवाब देहन्दागण के पिता जी ने अपनी चल व अचल जायदाद को लेकर के किसी प्रकार से कोई विवाद नही हो इसी मंशा से विधिक प्रावधानो अनुसार बक्शीशनामा जवाब देहन्दागण के पक्ष में निष्पादित किया था। उक्त बक्शीशनामा विधिक [illegible] नही है। तथा बक्शीश की गई भूमि से सायल का किसी प्रकार से कोई [illegible] की सायल का इस भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कोई कब्जा व हक व अधिकार ही रहा है न ही सायल का इस भूमि पर कोई कब्जा व हक व अधिकार ही रहा है। सायल इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि से गोद जाने के बाद से ही आउट ऑफ पजेशन रहा है। इसलिये इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बाबत निष्पादित किये गये बक्शीशनामा को निरस्त करवाने का सायल को कतई कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद भी सायल ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई गलत है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित अनुसार माफिक बक्शीशनामा के अनुसार इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि राजस्व रेकर्ड में जवाब देहन्दागण के नाम दर्ज हो को चुकी है। तथा मांगीलाल जी का देहान्त भी दिनांक 05.10.2012 को गया है। उनके स्वर्गवास उपरान्त उनका बारवा गंगाप्रसादी एवं अन्य समस्त दायित्वों का निर्वहन जवाब देहन्दा मुलाराम व मोहनलाल द्वारा ही किया गया है तथा उसमें सायल ने कोई खर्चा भी नही लगाया है। जिससे भी साबित है कि सायल का मांगीलाल जी की चल व अचल जायदाद में कोई हक व अधिकार नही रहा था। इस प्रकार से सायल पुखाराम के सुआ बेवा उंकार जी के यहां पर गोद जाने के बाद उनका इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार शेष नही रहा था। न ही सायल का मौके पर कोई कब्जा व हक व अधिकार ही रहा है। इसलिये सायल स्थगन का अनुतोष पाने का अधिकारी भी नही है। साथ ही भूमि के खातेदार मांगीलाल जी ने अपने हक व अधिकार के अपनी बहिनो के वारिसान एवं अपनी पुत्रियो की सहमति से जवाब देहन्दागण के पक्ष में इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि के बाबत् बक्शीशनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया था। जो विधिक रूप से अस्तित्व में है तथा इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सायल का न तो कभी कब्जा काश्त रहा है न ही वर्तमान में है। बल्कि उक्त भूमि जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त व हक अधिकार में है। सायल पिछले 50 वर्षो से ग्राम जसनगर तहसील मेड़तासिटी में रह रहा है। एवं व पर सायल अपनी नाना जी सुआ बेवा उंकार जी के गोद चला गया था तब से वही पर रहा है। तथा इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार मांगीलाल जी के साथ जवाब देहन्दागण संयुक्त रूप से थे तब मांगीलाल जी विधिक प्रावधान अनुसार यह बक्शीशनामा निष्पादित किया है जो सही है । तथा इस भूमि पर एक मात्र जवाब देहन्दागण का ही कब्जा व काश्त है। इस प्रकार से सायल को किसी भी प्रकार की क्षति होने व विवाद एवं मुकदमें बाजी होने के कथन मिथ्या है। इसलिये सायल गैरसायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र काबिल अपास्त के होने से अपास्त फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई असत्य [illegible] बेबुनियाद है। तथा उक्त भूमि पर जवाब देहन्दागण का खरीद शुदा होने के कथन कतई गलत है साथ ही इस जवाब में उपर वर्णित अनुसार सम्पूर्ण भूमि जवाब देहन्दागण की पृतक व पुश्तैनी है जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2023.01.20 16:40:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पर जवाब देहन्दागण का ही कब्जा काश्त व अधिकार चला आ रहा है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कतई गलत होने से खारिज किया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजी के संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी होने संबंधी कथनों के आधार पर दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायल वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज नहीं है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2074–2077 ग्राम धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दडा खाता संख्या 230 खसरा नम्बर 114 रकबा 9–02 बीघा, खसरा नम्बर 154 रकबा 29–11 बीघा एवं खाता संख्या 231 खसरा नम्बर 149 रकबा 23–05 बीघा, खसरा नम्बर 155 रकबा 19–12 बीघा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण/गैरसायलान के द्वारा प्रार्थी/सायल के वादग्रस्त आराजी पर उनके हक–अधिकार व कब्जे संबंधी कथनों का खंडन किया है। अतः मूल प्रकरण के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थी/वादी ने उक्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के कारण उसमें अपने हक–अधिकार होने के कथन किये है, परन्तु केवल स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/वादी न तो वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है एवं न ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् कोई अनुतोष चाहा है। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतयाः विफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरू[illegible]बित होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** [illegible] से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण/गैरसायलान संख्या 1 व 2 बतौर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenyer
Date: 2022.01.20 16:49:16 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज है। साधारणतयाः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपयोग/उपभोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है जब तक कि उसे अन्यथा साबित न कर दिया जाये। प्रार्थी/सायल द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है जिससे की सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे कि यह साबित होता हो कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी जबकि पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थीगण/गैरसायलान संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/09/2021 को सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:49:16 IST
Reason: SelfAttested